[2018] 1 एस. सी. आर 232

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

वी.

मेसर्स फास्ट वे ट्रांसमिसन पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2014 की सिविल अपील संख्या 7215)

24 जनवरी, 2018

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002। 3 , 4 और 27 केबल टीवी नेटवर्क उत्तरदाता संख्या 5 (एक समाचार चैनल का प्रसारक) ने प्रवेश किया

उत्तरदाता संख्या 1 से 4 (बहु प्रणाली) के साथ विभिन्न समझौते

प्रचालक)-बहु प्रणाली प्रचालक (एम. एस. ओ. एस.) द्वारा समाप्त किए गए समझौते-प्रत्यर्थी सं. 5 - महानिदेशक

और अधिनियम के 4-प्रतिस्पर्धा आयोग ने माना कि एमएसओ एक प्रमुख स्थिति में थे जिनका दुरुपयोग किया जा सकता था और जुर्माना लगाया जा सकता था उन पर यू / धारा 27- तथापि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दोनों में से किसी का भी उल्लंघन नहीं हुआ था। 3 या एस। 4 अधिनियम का-क्या प्रमुख पद का दुरुपयोग होता है धारा 4 (2) (ग) जहाँ प्रत्यर्थी-एम. एस. ओ. के बारे में कहा जा सकता है कि वे ऐसी प्रथा में लिप्त थे जिसके परिणामस्वरूप इनकार किया गया था।

किसी भी तरह से बाजार तक पहुँचः तत्काल मामले में, "प्रमुख"

स्थिति "स्पष्ट रूप से बनाई गई है-एस के लिए स्पष्टीकरण। 4 विशेष रूप से ताकत की स्थिति को संदर्भित करता है जिसका आनंद किसी उद्यम या समूह द्वारा लिया जाता है।

संबंधित बाजार में, जो तत्काल मामले में पंजाब और चंडीगढ़ में है, केबल टीवी बाजार में, जो एमएसओ को सक्षम बनाता है

प्रासंगिक में प्रचलित प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र रूप से काम करें

बाजार-तथ्यों पर, स्पष्ट रूप से सी. एल. की उप-धारा (i) और (ii) दोनों। (क) एस के स्पष्टीकरण का। 4 आवेदन करें, और इस प्रकार, प्रतिवादी-एमएसओ कर सकते हैं एस के उद्देश्य के लिए "प्रमुख स्थिति" में कहा जा सकता है। 4

एक बार जब तथ्यों पर एक प्रमुख स्थिति बनाई जाती है, तो क्या

प्रसारक एमएसओ के साथ प्रतिस्पर्धा में है एक ऐसा कारक है जो एस के अनुप्रयोग के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है। 4 (2) ((ग) जो हो चुका है

पाया गया, इस साधारण कारण से लागू हो जाता है कि प्रसारक को गैरकानूनी समाप्ति के कारण बाजार तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है

उक्त प्रसारक और एम. एस. ओ. एस. (उत्तरदाता 1-4) के बीच समझौता-हालाँकि, उत्तरदाता-एम. एस. ओ. यह कहने में सही थे कि दिए गए समाचार चैनल (उत्तरदाता संख्या 5) की टी. आर. पी. किसी भी अन्य चैनल को दी गई तुलना में बहुत कम थी और यही कारण था

232 भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग v. मेसर्स फास्ट वे प्रसारण पी. वी. टी. लिमिटेड।

प्रसारक के साथ मध्य-धारा में समझौता समाप्त करना

हालांकि, तथ्यों पर, धारा 4 (2) (ग) का उल्लंघन किया गया है, फिर भी उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया कारण 1-4 अन्यथा न्यायोचित है, कोई जुर्माना नहीं होगा वर्तमान मामले के तथ्यों पर लगाया गया-दूरसंचार

(प्रसारण और केबल सेवाएँ) अंतर संबंध विनियम, 2004-विनियमन। 4.2 .

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002-एस। 2,4,18,19,27,41,53बी, 53टी और 60

- आयोग की भूमिका और कर्तव्य-आयोजितः अधिनियम की प्रस्तावना को एस. एस. के साथ पढ़ा जाता है। 2,4,18,19,27,41,53बी, 53टी और 60 से पता चलेगा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा स्थापित आयोग की निश्चित रूप से सकारात्मक भूमिका है। 18 और एस। 19 यह दर्शाता है कि एक

प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सभी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए आयोग का सकारात्मक कर्तव्य-इसके अलावा आयोग को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के अलावा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए और बनाए रखना चाहिए, ताकि पूरे भारत में बाजारों में सभी प्रतिभागियों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके-साथ ही, उद्यमों की प्रमुख स्थिति की स्वतः जांच करने और प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करने के लिए आयोग को एक सकारात्मक भूमिका दी गई है-धारा 60 तब अधिनियम और ऐसी मूर्तियों के बीच टकराव की स्थिति में अधिनियम को अन्य कानूनों पर हावी होने का प्रभाव देता है ताकि पूरे देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की नीति को प्रभावी बनाया जा सके।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. प्रतिस्पर्धा अधिनियम की प्रस्तावना, जिसे धारा 2,4,18,19,27,41,53B, 53T और 60 के साथ पढ़ा जाता है, से पता चलता है कि

प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा स्थापित आयोग की निश्चित रूप से सकारात्मक भूमिका है। धारा 18 और 19 के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सभी प्रथाओं को समाप्त करना आयोग का एक सकारात्मक कर्तव्य है। इसके अलावा आयोग को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के अलावा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए, ताकि पूरे भारत के बाजारों में सभी प्रतिभागियों द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, आयोग को उद्यमों की प्रमुख स्थिति की स्वतः जांच करने और प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करने के लिए एक सकारात्मक भूमिका दी गई है। धारा 60 तब सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की नीति को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम और ऐसी मूर्तियों के बीच टकराव के मामले में अन्य कानूनों पर अधिनियम को प्रबल प्रभाव देती है।

3. धारा 2 (च) (ii) की परिभाषा पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी ने सही तर्क दिया कि एक प्रसारक निश्चित रूप से गिर जाएगा। उपरोक्त उपखंड में निहित व्यापक भाषा के भीतर। इसके अलावा, सभी निष्पक्षता में प्रतिवादी उसी से सहमत हो गया है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि जैसा कि स्पष्टीकरण के खंड (ए) की उप-धारा (i) और (ii) दोनों लागू होती हैं, प्रतिवादी को वर्तमान मामले के तथ्यों में धारा 4 के उद्देश्य के लिए "प्रमुख स्थिति" में कहा जा सकता है। [पैरा 9] [247-ए-बी]

4. जहां तक इस सवाल का सवाल है कि क्या धारा 4 (2) (सी) के तहत ऐसी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग होता है, जहां -

यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी किसी भी तरह से बाजार तक पहुंच से इनकार करने के परिणामस्वरूप एक प्रथा में लिप्त था, यह देखा जा सकता है कि मामले के तथ्यों में, प्रसारक, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5, का एक प्रसारण समझौता था जो एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। इसे उपरोक्त के भीतर समाप्त करने की मांग की गई थी।

उत्तरदाता द्वारा सूचना द्वारा अवधि। टी. डी. एस. ए. टी. ने अपने आदेश द्वारा भारत के प्रासंगिक प्रतिस्पर्धा आयोग के विनियम 4 में संशोधन किया है।

मेसर्स फास्ट वे ट्रांसमिसन पी. वी. टी. लिमिटेड।

उत्तरदाताओं ने उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया है, क्योंकि समाप्ति की सूचनाओं में समाप्ति का कोई कारण नहीं दिया गया है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि, वर्तमान तथ्यों पर, उत्तरदाता 1-4 (एमएसओ) द्वारा प्राप्त प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग केवल इस कारण से किया जाता है कि प्रसारक बाजार तक पहुँच से वंचित कर दिया गया। "किसी भी तरह से" शब्द व्यापक महत्व के शब्द हैं और उन्हें उनका स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए। यह मामला होने के कारण, अपीलीय न्यायाधिकरण के इस तर्क की सराहना करना मुश्किल है कि चूंकि प्रसारक और एमएसओ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं, इसलिए धारा 3 और 4 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। प्रतिवादी एम. एस. ओ. द्वारा धारण की गई "प्रमुख स्थिति" वर्तमान मामले में धारा 4 के उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है, और उस ओर से आयोग के निष्कर्ष को भी अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अलग नहीं किया गया है। यदि ऐसा है, तो एक बार तथ्यों पर एक प्रमुख स्थिति बनाई जाती है, कि क्या

प्रसारक एमएसओ के साथ प्रतिस्पर्धा में है, यह एक ऐसा कारक है जो धारा 4 (2) (सी) को लागू करने के उद्देश्य से अप्रासंगिक है, जो, जैसा कि पाया गया है, इस सरल कारण से लागू हो जाता है कि प्रसारक को गैरकानूनी प्रावधानों के कारण बाजार तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। उक्त प्रसारक और उत्तरदाता 1-4 (एमएसओ) के बीच समझौते की समाप्ति। [पैरा 10,11] [247-सी-एच]

5. औसत जी. आर. पी. चार्ट के अवलोकन से पता चलता है कि

समाचार चैनल 'डे एंड नाइट' को दी गई जी. आर. पी. किसी भी अन्य चैनल को दी गई जी. आर. पी. की तुलना में बहुत कम है, और यह कि प्रतिवादी का यह कहना सही था कि प्रसारक के साथ समझौते को मध्य-धारा में समाप्त करने का यही कारण था। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों पर, धारा 4 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है, फिर भी उत्तरदाताओं 1 से 4 (एमएसओ) द्वारा समाप्ति के लिए दिया गया कारण है

अन्यथा न्यायोचित, तथ्यों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए

वर्तमान मामला। [पैरा 13] [248-जी-एच]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7215

2012 के अपील सं. 116 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांकित निर्णय और आदेश से। पी. एस. नरसिम्हा, ए. एस. जी., श्रीमती सुचित्रा ए. चिताले, सुश्री तन्वी काकर, गुरज्योत सेठी, सुश्री जयती अतुल चिताले, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मिलिए मल्होत्रा, सीनियर एड. , वैभव गग्गर, जी. एस. ओबेरॉय, सुश्री रीना राठौर, सुश्री स्मृति जैन, सुश्री श्वेता रथ, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले विवाद की सराहना इस प्रकार हैः 1 अगस्त, 2010 को प्रतिवादी नं. 5 , एक समाचार चैनल का प्रसारक कौन था

" दिन और रात समाचार ", और उत्तरदाता संख्या 1 से 4 जो बहु प्रणाली संचालक हैं (जिन्हें इसके बाद" एमएसओ "के रूप में संदर्भित किया गया है) जिन्होंने उपरोक्त कार्य किए हैं। केबल टी. वी. देखने वाले व्यक्तियों के लिए चैनल उसी दिन प्रसारक और एम. एस. ओ. के बीच एक चैनल प्लेसमेंट समझौता किया गया था, जिनमें से सभी को फास्ट अवे समूह से संबंधित बताया गया है। 19 जनवरी, 2011 की समाप्ति की सूचनाओं द्वारा, उपरोक्त

उक्त के एक खंड पर भरोसा करके समझौतों को समाप्त कर दिया गया था

ऐसे समझौते जो उन्हें केवल तीस दिन का नोटिस देने पर ऐसा करने का अधिकार देते हैं। यह मामला होने के कारण, प्रतिवादी नं। 5 उपरोक्त समाप्ति के बारे में शिकायत की। जाँच महानिदेशक ने प्रसारक की शिकायत पर गौर किया, मामले की जाँच की और अंततः प्रतिस्पर्धा आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने पाया कि

कि उक्त एम. एस. ओ. प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं में लिप्त थे। इस रिपोर्ट के अनुसार, और विवाद के पक्षों को सुनने के बाद, प्रतिस्पर्धा आयोग ने 3 जुलाई, 2012 के अपने विस्तृत आदेश द्वारा पहली बार कहा कि उसके अनुसार,

धारा 3 और 4 के उद्देश्य के लिए पंजाब और चंडीगढ़ राज्य को प्रासंगिक बाजार माना जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए

जहां तक केबल टीवी का संबंध है, एक निष्कर्ष यह बताते हुए दर्ज किया गया था कि एमएसओ समूह की उस बाजार में 85 प्रतिशत ग्राहक हिस्सेदारी थी, और इसलिए, एक प्रमुख स्थिति में था जिसका दुरुपयोग किया जा सकता था। अंततः, इसने तथ्यों पर पाया कि समूह ने तत्काल मामले को छोड़कर नियत तारीख से पहले इस तरह के किसी भी समझौते को कभी समाप्त नहीं किया था, और यह भी पाया कि यह कम टीआरपी रेटिंग के कारण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता की टीआरपी रेटिंग लगभग कुछ अन्य चैनलों के बराबर थी। इसके बाद आयोग ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालेः

" 6.4. 9 उपरोक्त साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि चैनल के प्रसारण में व्यवधान थे।

आयोग आगे भारत के सांसद आयोग v का अवलोकन करता है। मेसर्स फास्ट वे ट्रांसमिसन पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ओ. पी. समूह द्वारा लगाए गए नियोजन शुल्क का भुगतान करना। नियोजन या कैरिज शुल्क का भुगतान न करने पर कोई विवाद नहीं था। सूचना देने वाले और ओपी के बीच एक समझौते को विधिवत निष्पादित किया गया था। पूर्व के चैनलों के प्रसारण के लिए समूह।

6.4.10 हालाँकि, इस तथ्य के कारण कि ओपी का ग्राहक आधार 40 लाख से अधिक है, सूचना देने वाले सहित प्रत्येक प्रसारक अपने नेटवर्क पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में आयोग का मानना है कि ओ. पी. बाजार को उसके पक्ष में प्रभावित करने की स्थिति में है। अपनी बाजार शक्ति के कारण, ओपी समूह ने सूचना देने वाले के चैनल के प्रसारण के अवसर से इनकार कर दिया है। द. समूह के पास समझौते को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है और अपने आचरण को उचित ठहराने के लिए उसका तर्क किसी भी ठोस आधार पर आधारित नहीं है। सूचना देने वाले के चैनल के प्रसारण के लिए स्पेक्ट्रम की कमी के बारे में इसका तर्क इस तथ्य के बावजूद कि स्पेक्ट्रम की बाधा पर उस समय विचार किया गया होगा

प्रसारक से प्रीमियम के प्रभार पर सूचना देने वाले के साथ समझौता करना। एक बार इस पर विचार करने के बाद, समझौते की अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम की कमी का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह, कम टीआरपी का तर्क भी उचित नहीं है क्योंकि अतीत में टीआरपी रेटिंग के आधार पर किसी भी समझौते की समीक्षा करने की कोई प्रथा नहीं रही है।

समझौता। आयोग का मानना है कि स्पेक्ट्रम की कमी और कम टीआरपी का तर्क केवल अपने आचरण को सही ठहराने के लिए एक विचार है।

6.4.11 ओपी के संचालन के परिणामस्वरूप सूचना देने वाले प्रसारक को नुकसान हुआ है और साथ ही उन उपभोक्ताओं को सेवाओं से वंचित कर दिया गया है जो सूचना देने वाले का चैनल देखना चाहते हैं। आज की तारीख में सूचना देने वाले के पास पंजाब और चंडीगढ़ राज्य में केबल टीवी पर केवल 56,000 घरों तक पहुंच है, जहां लगभग 45 लाख घर हैं। घरों को केबल

नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इस प्रकार, सूचना देने वाले को ओपी के संचालन द्वारा पूरे प्रासंगिक बाजार से प्रभावी रूप से मिटा दिया गया है।

6.4.12 इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में आयोग का मानना है कि ओपी समूह के कृत्यों के कारण सूचना देने वाले को बाजार तक पहुंच और अवसर से वंचित कर दिया गया है।

प्रतिस्पर्धा करें और धारा 4 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन मान लें

(ग) अधिनियम की स्थापना हो जाती है।

2. उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, आयोग ने इसके बाद अधिनियम की धारा 27 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया।

रु. 8,40,01,141/-।

3. एम. एस. ओ. एस. समूह द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण में की गई अपील का उपरोक्त न्यायाधिकरण ने समर्थन किया। अनिवार्य रूप से, न्यायाधिकरण का निष्कर्ष

यह था कि धारा 4 (2) (सी) के तहत बाजार पहुंच से इनकार केवल एक प्रतियोगी द्वारा दूसरे के खिलाफ किया जा सकता है, और एक प्रसारक के रूप में एमएसओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, किसी भी धारा का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

3 या अधिनियम की धारा 4। इस संक्षिप्त आधार पर अपील की अनुमति दी गई। 4. श्री पी. एस. नरसिम्हा, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से पेश हुए, जो हमारे सामने एकमात्र अपीलकर्ता हैं, ने तर्क दिया है कि प्रतियोगिता की भूमिका

आयोग को अधिनियम के कुछ प्रावधानों के साथ पढ़ी गई प्रस्तावना में सकारात्मक के रूप में चित्रित किया गया है। आयोग को प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना होगा, ताकि उन्हें बढ़ावा दिया जा सके और बनाए रखा जा सके बाजारों में प्रतिस्पर्धा, साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, ताकि व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके

जो बदले में पूरे राष्ट्र के स्वस्थ आर्थिक विकास की ओर ले जाए। इस संदर्भ में और अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त महा न्याय भिकर्ता ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने अधिनियम का अर्थ एक संकुचित तरीके से लगाया है जो आयोगों को बाधित करेगा।

भविष्य के मामलों में कार्य करना। अपनी सामान्य निष्पक्षता के साथ, उन्होंने मामले के तथ्यों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि तय करने का काम अदालत पर छोड़ दिया है।

5. प्रत्यर्थी एम. एस. ओ. एस. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने न्यायालय के प्रति समान रूप से निष्पक्षता दिखाई है, और 25 अप्रैल, 2012 के दूरसंचार विवाद और निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टी. डी. एस. ए. टी.) के फैसले को हमारे संज्ञान में लाया है, जिसमें वर्तमान मामले में एम. एस. ओ. द्वारा इस समाप्ति को गैरकानूनी माना गया था, जिसमें दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) इंटरकनेक्शन विनियम, 2004 के विनियमन 4.2 का उल्लंघन किया गया था। उपरोक्त विनियमन का खंड 4.2, जो पक्षों के बीच समझौतों को अधिरोहन करता है, भारत प्रतिस्पर्धा आयोग v.

मेसर्स फास्ट वे ट्रांसमिसन पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विशेष रूप से प्रसारक को तीन सप्ताह के नोटिस के बारे में बताता है जो स्पष्ट रूप से एक टीवी के प्रसारण को समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई का कारण देता है।

उपरोक्त एमएसओ द्वारा चैनल। 19 जनवरी, 2011 की समाप्ति की सूचना उपरोक्त विनियमन के अनुरूप नहीं है क्योंकि प्रस्तावित समाप्ति के कारण नहीं दिए गए हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनके ग्राहकों के खिलाफ दंड का कोई मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि प्रासंगिक समय पर, एनालॉग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था, और इस तरह के प्लेटफॉर्म की परिचालन क्षमता लगभग 550 के मौजूदा चैनलों के मुकाबले केवल 80 चैनलों के लिए थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रसारक की टी. आर. पी. रेटिंग, अर्थात्, उत्तरदाता संख्या 5, अन्य सभी समाचार चैनलों की तुलना में अब तक की सबसे कम थी, जिसे केवल 3.8 की रेटिंग मिली, जबकि सबसे कम रेटिंग वाले समाचार चैनल, जो एम. एच. चैनल था, 7 की थी। उनके अनुसार, यह प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किए गए एक प्रयोग के कारण था जो विफल रहा, क्योंकि यह तीन अलग-अलग भाषाओं में समाचार प्रसारित करता था, और चूंकि अधिकांश दर्शक इनमें से प्रत्येक भाषा से परिचित नहीं थे, इसलिए चैनल विफल हो गया और प्रतिवादी संख्या 5 अब व्यवसाय में नहीं था। इसलिए, उनके अनुसार, भले ही तकनीकी रूप से, विनियमन 4.2 का उल्लंघन किया गया था, फिर भी उपरोक्त कारणों को बताते हुए समाप्ति की सूचना दी जा सकती थी कि एमएसओ और प्रसारक के बीच समझौते को क्यों समाप्त किया गया था। इस मामले में यह स्पष्ट है कि समझौते की समाप्ति बाजार में एमएसओ की प्रमुख स्थिति के कारण नहीं हुई थी, बल्कि वनों के कारण हुई थी। उनके विचार में, इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें जुर्माना लगाया जाना चाहिए था।

हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

6. अधिनियम के प्रावधानों के बारे में पहले जानकारी देना महत्वपूर्ण है। अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

" देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने, उपभोक्ताओं के

हितों की रक्षा करने और भारत में बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना के लिए एक अधिनियम। इसके साथ या उससे आनुषंगिक।

खंड 2 परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, 2 एस. सी. आर.

(ख) "समझौते" में कोई भी व्यवस्था या समझ या कार्रवाई शामिल है,

((i) ऐसी व्यवस्था, समझ या कार्रवाई औपचारिक या लिखित है या नहीं; या

((ख) ऐसी व्यवस्था, समझ या कार्रवाई का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय होना है या नहीं;

(च) "उपभोक्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो

वादा किया गया या आंशिक रूप से भुगतान किया गया और आंशिक रूप से वादा किया गया, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तुओं का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए या आंशिक रूप से वादा किए गए विचार के लिए ऐसी वस्तुओं को खरीदता है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, चाहे ऐसी वस्तुओं की खरीद पुनर्विक्रय के लिए हो या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए; ((ii) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत किसी भी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए प्रतिफल के लिए सेवाओं को नियुक्त करता है या उनका लाभ उठाता है, या आंशिक रूप से भुगतान किया जाता है और

आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत, जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लिखित व्यक्ति की मंजूरी से लिया जाता है, चाहे ऐसी भर्ती या सेवाओं का लाभ उठाना किसी के लिए हो।

वाणिज्यिक उद्देश्य या व्यक्तिगत उपयोग के लिए;

("व्यवहार" में किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा किसी भी व्यापार को चलाने से संबंधित कोई भी प्रथा शामिल है;

(आर) "प्रासंगिक बाजार" का अर्थ है वह बाजार जो आयोग द्वारा संबंधित उत्पाद बाजार या प्रासंगिक भौगोलिक बाजार के संदर्भ में या दोनों के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है बाजार;

धारा 4 प्रमुख पद का दुरुपयोग

(1) कोई भी उद्यम या समूह अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रमुख पद का दुरुपयोग होगा, यदि कोई उद्यम या भारत का समूह सांसद आयोग v.

मेसर्स फास्ट वे ट्रांसमिसन पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित या भेदभावपूर्ण आरोप लगाता है।

((ii) वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री में मूल्य (लुभावनी मूल्य सहित)। स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री में अनुचित या भेदभावपूर्ण स्थिति।

उपखंड (i) में निर्दिष्ट और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट वस्तुओं (लुभावनी मूल्य सहित) या सेवा की खरीद या बिक्री में अनुचित या भेदभावपूर्ण मूल्य में ऐसी भेदभावपूर्ण शर्तें या मूल्य शामिल नहीं होंगे जिन्हें प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए अपनाया जा सकता है।

((i) वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का प्रावधान या उसके लिए बाजार; या

((ख) वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित तकनीकी या वैज्ञानिक विकास से उपभोक्ता प्रभावित होंगे; या

(ग) व्यवहार या प्रथाओं में लिप्त होता है जिसके परिणामस्वरूप बाजार से इनकार किया जाता है। किसी भी तरह से पहुँच; या

(घ) अनुबंधों का निष्कर्ष अन्य पक्षों द्वारा पूरक दायित्वों की स्वीकृति के अधीन करता है, जिनकी प्रकृति या वाणिज्यिक उपयोग के अनुसार, ऐसे अनुबंधों के विषय के साथ कोई संबंध नहीं है; या

(ई) एक प्रासंगिक बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का उपयोग अन्य प्रासंगिक बाजार में प्रवेश करने या उसकी रक्षा करने के लिए करता है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद

(क) "प्रमुख स्थिति" का अर्थ है भारत में संबंधित बाजार में एक उद्यम द्वारा प्राप्त शक्ति की स्थिति, जो इसे सक्षम बनाती है।

को

(i) में प्रचलित प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र रूप से काम करें

प्रासंगिक बाजार; या

((ii) अपने प्रतिस्पर्धियों या उपभोक्ताओं या संबंधित बाजार को उसके पक्ष में प्रभावित करता है; सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) "लुभावनी मूल्य" से प्रतिस्पर्धा को कम करने या प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने की दृष्टि से माल के उत्पादन या सेवाओं के प्रावधान की लागत, जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, से कम कीमत पर माल की बिक्री या सेवाओं का प्रावधान अभिप्रेत है। (ग) "समूह" का वही अर्थ होगा जो धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में दिया गया है।

धारा 18 आयोग के कर्तव्य

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आयोग का कर्तव्य होगाः

बशर्ते कि आयोग, निर्वहन के उद्देश्य से

इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों या कार्यों का पालन करते हुए, किसी भी विदेशी देश की किसी भी एजेंसी के साथ केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ कोई ज्ञापन या व्यवस्था करें।

(4) आयोग, यह जाँच करते हुए कि क्या कोई उद्यम है धारा 4 के तहत एक प्रमुख स्थिति प्राप्त करता है या नहीं, निम्नलिखित सभी या किसी भी कारक को ध्यान में रखता है, अर्थात्ः

(क) उद्यम की बाजार हिस्सेदारी; ((ख) उद्यम का आकार और संसाधन;

(ग) प्रतियोगियों का आकार और महत्व;

(ङ) ऐसे उद्यमों के उद्यमों या बिक्री या सेवा नेटवर्क का ऊर्ध्वाधर एकीकरण; (च) उद्यम पर उपभोक्ताओं की निर्भरता; भारत का सांसद आयोग v.

मेसर्स फास्ट वे ट्रांसमिसन पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(छ) एकाधिकार या प्रमुख स्थिति चाहे किसी कानून के परिणामस्वरूप अर्जित की गई हो या सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण या अन्यथा; (ज) नियामक बाधाओं, वित्तीय जोखिम, प्रवेश की उच्च पूंजी लागत, विपणन प्रवेश बाधाओं, तकनीकी प्रवेश बाधाओं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, निवेश की उच्च लागत जैसी बाधाओं सहित प्रवेश बाधाएं।

(के) सामाजिक दायित्व और सामाजिक लागत; (1) आर्थिक विकास में योगदान के माध्यम से सापेक्ष लाभ

विकास, एक प्रमुख स्थिति का आनंद ले रहे उद्यम द्वारा प्रतिस्पर्धा पर एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव है या होने की संभावना है;

((ड) कोई अन्य कारक जिसे आयोग जांच के लिए प्रासंगिक मान सकता है।

धारा 27 समझौतों या प्रमुख पद के दुरुपयोग की जांच के बाद आयोग द्वारा आदेश जहाँ जाँच के बाद आयोग को पता चलता है कि कोई समझौता

(क) किसी भी उद्यम या उद्यमों के संघ या व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को, जैसा भी मामला हो, ऐसे समझौते में शामिल होने या प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को बंद करने और न करने का निर्देश देना। इस तरह के समझौते को फिर से दर्ज करना या प्रमुख स्थिति के इस तरह के दुरुपयोग को बंद करना, जैसा भी मामला हो;

(ख) ऐसा दंड अधिरोपित करें, जो वह उचित समझे जो ऐसा नहीं होगा -

पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए कारोबार के औसत के दस प्रतिशत से अधिक, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या उद्यम पर जो ऐसे समझौतों या दुरुपयोग के पक्षकार हैंः बशर्ते कि यदि धारा 3 में निर्दिष्ट कोई समझौता किसी गुट द्वारा किया गया है, तो आयोग इन पर अधिरोपित कर सकता है -

उस गुट में शामिल प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर प्रत्येक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए अपने लाभ के तीन गुना तक का जुर्माना लगाया जाता है।

इस तरह के समझौते को जारी रखने का या इसके दस प्रतिशत

इस तरह के समझौते के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए वर्ष का कारोबार, जो भी अधिक हो।

(घ) यह निर्देश देता है कि समझौतों को उस सीमा तक और तरीके से संशोधित किया जाएगा जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ङ) संबंधित उद्यमों को ऐसे अन्य आदेशों का पालन करने का निर्देश देता है जो आयोग पारित कर सकता है और निर्देशों का पालन करता है, जिसमें लागत का भुगतान, यदि कोई हो, शामिल है। (छ) ऐसा अन्य आदेश पारित करना या ऐसे निर्देश जारी करना जो वह उचित समझेः

बशर्ते कि इस धारा के तहत आदेश पारित करते समय, यदि -

आयोग एक निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 का उल्लंघन करते हुए एक उद्यम अधिनियम की धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (बी) में परिभाषित समूह का सदस्य है, और ऐसे समूह के अन्य सदस्य भी ऐसे उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं, या इसमें योगदान दिया है, तो वह इस धारा के तहत समूह के ऐसे सदस्यों के खिलाफ आदेश पारित कर सकता है।

धारा 41 महानिदेशक उल्लंघन की जांच करेंगे

(1) महानिदेशक, आयोग द्वारा इस प्रकार निर्देश दिए जाने पर, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की जांच में आयोग की सहायता करेगा।

(2) महानिदेशक के पास धारा 36 की उप-धारा (2) के तहत आयोग को प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी।

(3) उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 240 और 240ए, जहां तक हो सके, निदेशक द्वारा की गई जांच पर लागू होगी।

जनरल या उसके अधिकार के तहत जांच करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, जैसा कि वे उस अधिनियम के तहत नियुक्त निरीक्षक पर लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 240 के तहत "केंद्र सरकार" शब्दों का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा -

आयोग "; भारत का सांसद आयोग v. मेसर्स फास्ट वे ट्रांसमिसन पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 240ए के तहत "मजिस्ट्रेट" शब्द का अर्थ "मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली" के रूप में किया जाएगा।

धारा 53ख अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील

(1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या उद्यम या कोई भी व्यक्ति, जो धारा 53ए के खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश से व्यथित है, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी जिस दिन निर्देश की एक प्रति या आयोग द्वारा किया गया निर्णय या आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या उद्यम या उस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह ऐसे रूप में होगा और इसके साथ ऐसा शुल्क भी होगा जो हो सके

निर्धारित किया गयाः बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(3) उप-धारा (1) के तहत अपील की प्राप्ति पर, अपीलीय न्यायाधिकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे, पुष्टि, संशोधन या इसके खिलाफ अपील किए गए निर्देश, निर्णय या आदेश को दरकिनार कर सकता है।

(4) अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति आयोग और अपील करने वाले पक्षों को भेजेगा।

(5) उप-धारा (1) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा और उसके द्वारा छह महीने के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। अपील की प्राप्ति की तारीख से।

धारा 53टी उच्चतम न्यायालय में अपील केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या आयोग या कोई वैधानिक प्राधिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई उद्यम या कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्णय या आदेश से व्यथित है।

अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता हैः

धारा 60 अधिनियम का प्रबल प्रभाव होगा इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

समय बल में है "।

7. अधिनियम की प्रस्तावना, जिसे उपरोक्त प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, से पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा स्थापित आयोग निश्चित रूप से खेलने के लिए एक सकारात्मक भूमिका है। धारा 18 और 19 के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सभी प्रथाओं को समाप्त करना आयोग का एक सकारात्मक कर्तव्य है। इसके अलावा आयोग को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के अलावा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए, ताकि सभी के लिए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।

पूरे भारत के बाजारों में प्रतिभागी। इसके अलावा, आयोग को उद्यमों की प्रमुख स्थिति की स्वतः जांच करने और प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करने के लिए एक सकारात्मक भूमिका दी गई है। धारा 60 तब पूरे देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की नीति को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम और ऐसी मूर्तियों के बीच टकराव के मामले में अन्य कानूनों पर अधिनियम को प्रबल प्रभाव देती है। 8. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि "प्रमुख स्थिति" स्पष्ट रूप से बनाई गई है। धारा 4 का स्पष्टीकरण विशेष रूप से

संबंधित बाजार में एक उद्यम या उसके समूह द्वारा प्राप्त शक्ति की स्थिति को संदर्भित करता है, जो, जैसा कि पहले कहा गया है, केबल टीवी बाजार में पंजाब और चंडीगढ़ है, जो उत्तरदाताओं को सक्षम बनाता है। 1-4 प्रासंगिक बाजार में प्रचलित प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र रूप से काम करना। आयोग ने तथ्यों के आधार पर पाया है कि पंजाब और चंडीगढ़ राज्य में उपरोक्त केबल टीवी बाजार में उपरोक्त एमएसओ समूह की 85 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वे उपरोक्त बाजार में प्रचलित प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हैं। इस निष्कर्ष को अपीलीय

न्यायाधिकरण द्वारा खारिज नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी भी स्पष्टीकरण (ए) (ii) के दायरे में आएगा, हालांकि यह पर्याप्त है कि यह स्पष्टीकरण की उप-धारा ए (i) के दायरे में आएगा। उप-धारा (ii) उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त शक्ति की स्थिति को संदर्भित करती है जो उन्हें अपने पक्ष में उपभोक्ताओं को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है।

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग v. मेसर्स फास्ट वे ट्रांसमिसन पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

9. धारा 2 (च) (ii) में परिभाषा का जवाब देते हुए, श्री नरसिम्हा, विद्वान एएसजी ने, हमारे विचार में, सही तर्क दिया है कि एक प्रसारक

निश्चित रूप से उपरोक्त उपभाषा में निहित व्यापक भाषा के अंतर्गत आती है।

अनुभाग। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि सभी निष्पक्षता में प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील उसी से सहमत हैं। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि जैसा कि स्पष्टीकरण के खंड (ए) की उप-धारा (i) और (ii) दोनों लागू होती हैं, प्रतिवादी को वर्तमान मामले के तथ्यों में धारा 4 के उद्देश्य के लिए "प्रमुख स्थिति" में कहा जा सकता है।

10. अब जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या धारा 4 (2) (सी) के तहत इस तरह की प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया गया है, जहां प्रतिवादी को किसी भी तरह से बाजार तक पहुंच से इनकार करने के परिणामस्वरूप एक प्रथा में लिप्त होने के लिए कहा जा सकता है। 11. यह देखा जा सकता है कि मामले के तथ्यों में, प्रसारक, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5 का एक प्रसारण समझौता था जिसे दर्ज किया गया था

1 अगस्त, 2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए। प्रतिवादी द्वारा नोटिसों द्वारा इसे उपरोक्त अवधि के भीतर समाप्त करने की मांग की गई थी।

दिनांक 19 जनवरी, 2011। टी. डी. एस. ए. टी. ने 25 अप्रैल, 2012 के अपने आदेश द्वारा संबंधित दूरसंचार विनियमों के विनियम 4.2 को स्वीकार किया है और पाया है कि उत्तरदाताओं ने उपरोक्त विनियमों का पालन नहीं किया है, क्योंकि समाप्ति की सूचनाओं में समाप्ति का कोई कारण नहीं दिया गया है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि वर्तमान तथ्यों पर, उत्तरदाताओं द्वारा 1-4 से प्राप्त प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग केवल इस कारण से किया जाता है कि प्रसारक को अस्वीकार कर दिया गया था।

19 फरवरी, 2011 को और उसके बाद 1 अगस्त, 2011 तक बाजार पहुंच। "किसी भी तरह से" शब्द व्यापक महत्व के हैं और उन्हें उनका स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए। यह मामला होने के कारण, अपीलीय न्यायाधिकरण के इस तर्क की सराहना करना मुश्किल है कि, प्रसारक और एमएसओएस के रूप में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं, धारा 3 और 4 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। जैसा कि हमारे द्वारा माना गया है, प्रतिवादी एमएसओ द्वारा आयोजित "प्रमुख स्थिति" स्पष्ट रूप से इस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है -

वर्तमान मामले में धारा 4 और उस ओर से आयोग के निष्कर्ष को भी अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अलग नहीं किया गया है। यदि ऐसा है, तो एक बार तथ्यों पर एक प्रमुख स्थिति बन जाने के बाद, क्या एक प्रसारक एमएसओ के साथ प्रतिस्पर्धा में है, यह एक ऐसा कारक है जो इस उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है -

धारा 4 (2) (सी) का अनुप्रयोग, जैसा कि हमारे द्वारा पाया गया है, इस साधारण कारण से लागू होता है कि प्रसारक को बाजार से वंचित किया जाता है। उक्त प्रसारक और उत्तरदाताओं के बीच समझौते की गैरकानूनी समाप्ति के कारण पहुँच 1-4।

12. हालाँकि, यह कहने के बाद, हमारा विचार है कि कोई दंड नहीं है

वर्तमान मामले के तथ्यों पर थोपा जाना चाहिए था। प्रतिस्पर्धा आयोग का यह निष्कर्ष कि प्रसारक की टी. आर. पी. रेटिंग उतनी कम नहीं थी जितनी अन्य चैनलों की थी, सही नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा हमारे समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में, वे

विशेष रूप से कहा गया है कि सितंबर 2010 से जनवरी 2011 के महीने में अन्य समाचार चैनलों के विपरीत, प्रतिवादी चैनल की टीएएम रेटिंग इस प्रकार थीः

एस. नं.	चैनल का नाम	का औसत जीआरपी चैनल के दौरान पाँच महीने की अवधि (सितम्बर '। 10 जनवरी '11)
1 .	एएजे टेक	33.6
	दिन और रात की खबरें	3.8
2 .		
3 .		24.7

आईबीएन7

4 .

7.0

एमएच1 समाचार

आई।

एनडीटीवी इंडिया

5 .

22.5

6 .

पीटीसी समाचार

35.6

7 .

स्टार न्यूज

27.9

21.5

8 .

ज़ी न्यूज़

13. उपरोक्त चार्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि जीआरपी

प्रत्यर्थी का यह कहना सही था कि प्रसारक के साथ समझौते को मध्य-धारा में समाप्त करने का यही कारण था। हालांकि हम पाते हैं कि, इस मामले के तथ्यों पर, धारा 4 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है, फिर भी उत्तरदाताओं 1 से 4 द्वारा समाप्ति के लिए दिया गया कारण अन्यथा है

न्यायसंगत, हम महसूस करते हैं कि तथ्यों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए

वर्तमान मामला।

ट्रांसमिसन पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कमीशन, दोनों अलग रखे जाते हैं।

अंकित ज्ञान